भवन निर्माण अग्रिम नियम 11 (1)

राजस्थान सरकार

भवन निर्माण के लिए अग्रिम हेतु आवेदन पत्र

1 (क) नाम ....

(ख) पद ....

(ग) वेतनमान ....

(घ) संस्थाई वेतन (Substantive Pay) वैयक्तिक वेतन (Personal Pay) यदि कोई हो अथवा स्थानापन्न वेतन (अवकाश रिक्त) (Leave Vacancy) में या निश्चित अल्प अवधि के लिए (आहरित उठाये गये स्थानापन्न वेतन को छोड़कर) ....

(ड). उल्लेख कीजिए कि क्या आप स्थाई कर्मचारी हैं । ....

2 जन्म दिनांक ....

3 कार्यालय जिसमें नियोजित हैं तथा स्थाई पता ....

4 उल्लेख कीजिए कि क्या आप या आपकी पत्नी/पति बच्चों के पास पहले से मकान हैं, यदि हॉ तो नीचे दिए गए अनुसार पूर्ण विवरण दीजिए। ....

सही स्थान	स्थान (Accomodation) का विस्तृत ब्यौरा	तल क्षेत्राफल (Floor Area)	अनुमानित मूल्यांकन (Valuation)
1.	2.	3.	4.

5 (1) अग्रिम की राशि जिसके लिए आवेदन किया गया है (भूमि के कय एवं भवन को निर्माण के लिए अपेक्षित राशि का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए) ....

(2) मूलधन एवं ब्याज की वसूली की किश्तों की संख्या का अलग.–अलग उल्लेख भवन अग्रिम नियम, 1977 के नियम 4 में विहित मूलधन एवं ब्याज दोनों की अधिकतम संख्या तक दीजिए । ....

1. किश्तों की संख्या जिनमें मूलधन की वसूली की जावेगी। ....

2. किश्तों की संख्या जिनमें ब्याज की वसूली की जायेगी । ....

6. मूल अग्रिम के प्रयोजन का उल्लेख कीजिए–

(1) (क) भूमि के कय के लिए तथा उस पर आवासीय भवन का निर्माण करने के लिए या ....

(ख) पहले से स्वंय की भूमि पर आवासीय भवन बनाने के लिए या ....

(ग) किसी आवासीय भवन के लिए अथवा किसी फ्लेट या गृह (Tenement) मे स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए या ....

(घ) किसी ऐसे विद्यमान भवन को नष्ट करने के बाद पुनः बनवाना जो जीर्णशीर्ण हो गया हो तथा जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती हो किन्तु जो भवन निर्माण अग्रिम या अल्प आय वर्ग आवासन (M.I.G.H.) योजना की मदद से क्रय अथवा निर्मित नहीं किया गया था । ....

2. **मरम्मत अथवा परिवर्धन एवं परिवर्तन के लिए अग्रिम–**

(क) किसी ऐसे विद्यमान भवन में जो भवन निर्माण अग्रिम अथवा अल्प आय वर्ग आवासन (MIGH.) मध्यम आय वर्ग आवासन (LIGH) योजना की सहायता से नहीं बनाया गया था अथवा किसी प्रसंविदान्मर्गत राज्य (Convenanting State) की सरकार के लिए भवन निर्माण अग्रिम की सहायता से बनाया गया था । ....

(ख) किसी विद्यमान आवासीय भवन में यदि वह केवल भवन निर्माण अग्रिम की सहायता से अथवा अल्प आयवर्ग आवासन (LIGH) मध्यम आय वर्ग आवासन (MIGH) योजना के अन्तर्गत. ऋण की सहायता से बनाया गया हो अथवा क्रय किया गया हो । ....

7. आवेदक द्वारा किसी भवन के निर्माण या क्रय के लिए अथवा मरम्मत के लिए पहले से लिए गए अग्रिम का विवरण ।

स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक	ऋण की कुल राशि	दिनांक जिसको आहरित किया गया	किस प्रयोजन के लिए किया गया ?आय भूमि के क्रय के लिए या भवन के निर्माण के लिए या मरम्मत, परिवर्तन आदि के लिए
1	2	3	4

ऋण स्वीकार करने वाला प्राधिकारी	अदायगी की मासिक किश्तें	आवेदन का दिनांक की बकाया राशि
5	6	7

8. अल्प आय वर्ग आवासन (LIGH) मध्यम आय वर्ग आवासन (MIGH) योजना के अन्तर्गत लिए गए ऋण का विवरण ।

स्वीकृति की संख्या एवं दिनांक	ऋण की कुल राशि	दिनांक जिसको प्राप्त हुआ	अदायगी की वार्षिक समानीकृत किश्तें एवं इनका नियत दिनांक
1	2	3	4

अधिबकाया (Overdue) किश्तों की संख्या जिनका आवेदन के दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया है । ....

9. (क) यदि भूमि पहले से स्वयं की हो तो उसका पूर्ण विवरण दीजिए अथवा जहां मात्रा क्रय किए जाने का प्रस्ताव हो वहां उस जगह का ब्यौरा दीजिए (भूखण्ड की संख्या, नगर सुधार न्यास द्वारा अनुमोदित स्कीम या प्लान का नाम लिखिए) ....

(ख) परिवर्धन या परिवर्तनों के लिए अग्रिम के मामले में भवन में विद्यमान वास सुरक्षा अर्थात् उसमें विद्यमान कमरों, रसाईघरों, डब्ल्यू –सी बाथ इत्यादि का ब्यौरा एवं निर्माण कराये जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त वास सुविधा का ब्यौरा दिया जाना चाहिए ।. ....

10. क्या आवेदक क्रय, मरम्मत, निर्माण की जाने वाली सम्पत्ति पर निर्विवाद हक रखता है/रखेगा । ....

11. भवन के निर्मित क्षैत्राफल, निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित क्षैत्राफल की अनुमानित लागत सहित स्थल नक्शा (Site Plan) का ब्यौरा भवन के क्रय के मामले में प्लान ड्राईग एवं भवन की अनुमानित राशि का उल्लेख किया जाना चाहिए । ....

12. क्या अग्रिम के कुछ भाग का समायोजन मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उत्पादन अथवा जीव पर अंशदायी भविष्य निधि द्वारा शासित व्यक्तियों के मामले में विशिष्ठ अंशदान में से करने के लिए मांग की गई । ....

13. क्या भवन का आग, बिजली गिरने से होने वाले नुकसान के प्रति जीवन बीमा निगम अथवा उसकी सहायक शाखाओं के पास बीमा कराया जायेगा अथवा उसके लिए राजस्थान एडवांस हजार्ड़ फण्ड में अंशदान का भुगतान किया जायेगा ? ....

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सांपर्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security)–

(क) व्यक्ति की ....

(ख) सम्पत्ति की ....

घोषणा

1. मैं सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्रा में मेरे द्वारा दी गई सूचना जहॉ तक मेरी जानकारी है, सही है ।

2. मैंने भवन निर्माण, अथवा क्रय अथवा मरम्मत हेतु सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिम देने संबंधी नियमों को पढ लिया है तथा मैं उनमें वर्णित शर्तो को मानने के लिए सहमत होता हूँ ।

3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी पत्नी/मेरा पति सरकारी कर्मचारी नहीं है तथा उसने इन नियमों के अन्तर्गत अग्रिम के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा अग्रिम प्राप्त नहीं किया है ।

4. मै एतद्द्वारा राशि का जिस प्रयोजन के लिए आवेदन किया है, उसी के लिए ऐसे अग्रिमों को नियमित करने वाले नियमों के अनुसार उपयोग करने के लिए स्वयं को बाध्य करता हूँ तथा स्वयं को इसके लिए भी बाध्य करता हूँ कि कथित प्रयोजन के लिए जो भी राशि अनुपयोजित शेष बचेगी उसे वापस कर दूँगा ।

5. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं दिनांक .... तक मेरी सेवा निवृत्ति होती है तथा यह कि मैं नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी अथवा मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान की मंजूरी के लिए पात्रा हूँ । मैं यह स्वीकार करता हूँ कि सरकार कथित अग्रिम की शेष राशि जो मेरी सेवा निवृत्ति अथवा निवृत्ति पूर्व मृत्यु होने के समय अदत्त रह जायेगी मय ब्याज के मेरी ग्रेच्युटी की उसे सम्पूर्ण राशि से या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग से जो मुझे स्वीकार की जाए, वसूल के लिए हकदार होगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....द्वारा आवेदन पत्रा में बतलाये गये तथ्य सही है । अतः सिफारिश की जाती है कि ....रूपये का अग्रिम मंजूर कर दिया जाये।

कार्यालय अध्यक्ष /विभागाध्यक्ष
के हस्ताक्षर

टिप्पणी : *स्वीकृत प्राधिकारी को आवेदन पत्रा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा । स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा इस आवेदन पत्रा की एक प्रति महालेखाकार के पास भेजी जायेगी तथा उसके साथ उसे पृष्ठांकित स्वीकृति को एक प्रति भी लगाई जायेगी ।*

jktLFkku ljdkj

भूमि के क्रय या/और भवन के निर्माण के लिए अथवा भवन के क्रय/मरम्मत के लिए अग्रिम के सम्बन्ध में निष्पादित करने के लिए बंधक–विलेख का प्रपत्र

यह बंधक विलेख आज दिनांक——————— माह—————— सन् दो हजार———————— को एक ओर राजस्थान राज्य के अधीन————————————————— पद पर सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारी——————————————————————————————————
निवासी——————————————————————————————————————
(जिसे इसमें इसके पश्चात् बंधककर्ता कहा गया हैं, जिस अभिव्यक्ति में उसे वारिस, प्रशासक और समनुदशिती सम्मिलित होंगे) तथा दूसरी ओर राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बंधकदार कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी एवं समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया है।

चूंकि बंधकदार ने एक ओर के बंधककर्ता तथा दूसरी ओर के बंधकदार के बीच दिनांक———————————— माह ——————— सन् 20——— को किए गए करार में उल्लिखित शर्तों पर भूमि के क्रय अथवा/ एवं भवन के निर्माण/भवन के क्रय/मरम्मत के लिए बंधककर्ता को ——————————————————— रूपये की राशि अग्रिम दी है।

एवं चूंकि जिन शर्तों पर कथित ऋण दियागया था, उनमें एक शर्त यह थी कि बंधककर्ता कथित करार में अन्तर्विष्ट ग्रसविदाओं के अनुसार कथित ऋण की ब्याज सहित अदायगी के लिए प्रतिभूति के रूप में भवन निर्माण अग्रिम नियमों के विहित समय के भीतर बंधकदार के पक्ष में उसका आड़मान (Hypothecate) करेगा।

I– अतः यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है–

उपर्युक्त करार के अनुसरण में तथा कथितऋण के प्रतिफल में, बंधककर्ता उस समस्त सम्पत्ति को जो इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित हैं, उसके निवास गृह, बाह्य कार्यालयों, अस्तबलों, रसोई कक्षों एवं बाह्य भवनों सहित, तथा (कथित भूखण्ड पर निर्मित या निर्मित किए जाने वाले) कथित निवास गृह के साथ उपयोग में ली गई या उपयोग किए जाने को आशयित सभी वस्तुओं को, उसके समस्त अधिकारों, सुविधाधिकारों एवं अनुलग्नकों सहित, बन्धकदार को, एतद्द्वारा, इस आशय से प्रदत्त एवं हस्तान्तारण करता है कि कथित परिसर, जिसमें इसके बाद निर्मित सभी परिनिर्माण एवं भवन सम्मिलित हैं, इस करार में अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं के अनुसार कथित ऋण की ब्याज सहित, बंधकदार को अदायगी करने के लिए प्रतिभूति के रूप में रहेगा तथा साधारण बंधक के द्वारा प्रतिभूति के रूप में प्रसारित किया जाएगा।

II – बंधककर्ता बंधनकार के साथ, एतद्द्वारा निम्न प्रकार प्रसंविदा करता है–

(1) यह कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित कथित सम्पत्ति समस्त विल्लंगमों (भारों) से मुक्त है तथा बंधककर्ता के पास अब उसे अन्तरिप्त करने का समुचित अधिकार है।

(2) बंधक के जारी रहने के दौरान, बंधककर्ता बंधकित परिसर का, आग या बिजली से होने वाले नुकसानों के प्रति, जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं के पास बीमा करायेगा तथा ऐसे बीमा की सभी प्रीमियमों का समय पर भुगतान करेगा तथा बीमा तब तक चालू रखेगा जब तक कि अग्रिम एवं उस पर ब्याज का पूर्ण रूप से भुगतान न हो जाए। बीमा की राशि अग्रिम की उस राशि से कम नहीं होगी जो बीमा कराये जाने अथवा उसका नवीकरण कराए जाने की तारीख को बंधककर्ता पर बकाया हो। बंधकदार को भवन का जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं के पास बीमा करवाने के स्थान पर राजस्थान एडवांस हेजार्ड फण्ड रूल्स, 1960 के अनुसार एडवांस हेजार्ड फण्ड में अंशदान कराने के

विकल्प प्राप्त होगा। बंधककर्ता मांग किए जाने पर बंधकदार को बीमा की पॉलिसी तथा पूर्ण रूप से भुगतान किए गए अन्तिम प्रीमियम की रसीद प्रस्तुत करेगा।

(3) बंधक के जारी रहने के दौरान, बंधककर्ता बंधकित परिसर की अच्छी एवं पर्याप्त मरम्मत कराएगा।

(4) यदि बंधककर्ता, एतद्द्वारा प्रतिभूत मूलधन का ब्याज सहित, जब वह कथित करार की शर्तों के अधीन देय हो जाए, भुगतान नहीं करता है अथवा यदि बंधककर्ता कथित करार या इस विलेख की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा यदि वह इन विलेखों की प्रतिभूति पर बंधकदार को दये अथवा भुगतान योग्य सभी राशियों का पूर्ण रूप से भुगतान किए जाने से पूर्व मर जाता है अथवा सेवा त्याग देता है, तब एवं ऐसे किसी भी मामले में बंधंदार के लिए बंधकित सम्पत्ति का कब्जा लेना तथा उसे या उसके किसी भाग को या तो एक साथ या खण्डों में न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना या तो लोक नीलाम (Public auction) द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा, विक्रय के लिए, किसी संविदा में परिवर्तन करने की शक्ति सहित बेचना तथा किसी नीलाम में या पर क्रय करना तथा विक्रय के लिए संविदा का विखंडित करना तथा उसके कारण हुई किसी हानि के लिए दायी हुए बिना उसे पुनः बेचना या किसी अवधि या कालावधि के लिए उसे किराए पर देना तथा ऐसे विक्रय आगम या किराये (Rent)से, उस विक्रय या प्रयतित विक्रय अथवा किसी पट्टे पर दिये जाने के आनुषंगिक के रूप में तथा किन्हीं पूर्व विलंगमों (भारों) को जो विक्रय के अधीन नहीं, किए गए है, उन्मोचित करके उसके द्वारा उचित रूप से किए गए आवश्यक क्रयों को पूरा करने के बाद, बंधकदार को देय राशि की वसूली करना बैध होगा। परन्तु यह कि विक्रय की इस शक्ति का तब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि बकाया राशि के भुगतान की अपेक्षा करते हुए लिखित में एक नोटिस कर्ता को तामील न करा दिया गया हो तथा ऐसी तामील के बाद तीन माह तक भुगतान करने में चूक न की गयी हो।

(5) यह कि जैसे ही कथित अग्रिम का, कथित करार एवं कथित नियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित, बंधककर्ता द्वारा या किसी भी प्रकार के अन्य साधनों से भुगतान कर दिया जायगा तब एवं ऐसे मामले में बंधकदार बंधककर्ता के निवेदन पर एवं उसकी लागत पर, कथित परिसर को बंधककर्ता के उपयोग में लेने के लिए प्रतिहस्तांतरित, अन्तरित करेगा या पुनगृहीत करेगा।

(6) एवं यह कि बंधककर्ता समय–समय पर तथा इसके बाद सभी समयों पर अपनी लागत पर, कथित परिसर को बंधकदार को आगे और अधिक अच्छी तरह से हस्तांतरित करने के लिए ऐसे सभी कृत्यों, विलेखों एवं चीजों को जो युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित होगी या अपेक्षित की जा सकेगी, सम्पन्न करेगा, एवं निष्पादित करेगा अथवा कराएगा या निष्पादित कराएगा।

इसके साक्ष्य में बंधककर्ता ने उपरिलिखित दिनांक ———————— माह ——————— सन् ———————— को अपने हस्ताक्षर किए।

उपरोक्त बंधककर्ता द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए–

प्रथम साक्षीः–

हस्ताक्षर :——————————————————

व्यवसाय :——————————————————

पता : ——————————————————
——————————————————

द्वितीय साक्षीः–

हस्ताक्षर :——————————————————

व्यवसाय :——————————————————

पता : ——————————————————
——————————————————

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से निम्न की उपस्थिति में निम्न द्वारा हस्ताक्षर किए गए :–

हस्ताक्षर :––––––––––––––––––
पदनामः––––––––––––––––––––

प्रथम साक्षीः–
हस्ताक्षर :––––––––––––––––––––––––––––
व्यवसाय :––––––––––––––––––––––––––––
पता : ––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––

द्वितीय साक्षीः–
हस्ताक्षर :––––––––––––––––––––––––––––
व्यवसाय :––––––––––––––––––––––––––––
पता : ––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––

इसमें संदर्भित सूची
(बंधकित सम्पत्ति का विवरण)

जिला–––––––––––––––––––––––––– में तहसील–––––––––––––––––––– के शहर / कस्बा / गॉव में स्थित ––जिसका क्षेत्रफल अधिक या कम रूप में –––––––––––––––––––––– है तथा जिसके उत्तर में –––––––––––––––––––––––––– दक्षिण में –––––––––––––––––––––––––––– पूर्व में –––––––––––––––––––– तथा पश्चिम में––––––––––––––––––––––है।

टिप्पणी :– *(1) एक बंधक के लिए दो साक्षी होने चाहिए।*
(2) विलेख रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए तथा उसके बाद वह स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा रख लिया जाना चाहिए।

राजस्थान सरकार

भूमि के कय अथवा भवन के निर्माण अथवा भवन के कय/मरम्मत के लिए अग्रिम हेतु उधार लेने वाले द्वारा निष्पादिन किए जाने का करार का प्रपत्र

यह करार पत्र आज दिनांक......................माह....................सन्... का एक ओर राजस्थान राज्य के अधीन...................................पद पर सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारी...निवासी.......................... खजिसे इसमें इसके पश्चात् ष्उधार लेने वालाष कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उसके विधिक प्रतिनिधि एवं समनुदेशिति (assignee) सम्मिलित होगें, तथा दूसरी ओर राजस्थान के राज्यपाल खजिन्हें इससे इसके पश्चात् सरकार कहा गया है, के बीच सम्पन्न किया गया है ।

चूंकि उधार लेने वाले ने भवन निर्माण अग्रिम (नियमों जिसे इसमें इसके पश्चात ष्कथित नियमष कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में समय–समय पर यथा–संशोधित कथित नियम सम्मिलित होगें के उपबन्धों के अधीन..
....

(ऋण का प्रयोजन भरिये)

के लिए रूपये का ऋण मंजूर करने के लिए सरकार को आवेदन किया है ।

एवं चूंकि सरकार ने कथित प्रयोजन के लिए... रूपये की राशि उधार लेने वाले को उधार देना स्वीकार किया है तथा उधार लेने... कथित ऋण राशि से शहर टाउन/ग्राम... तहसील.. जिला .... मे .... से अधिक या कम (जिसकी सीमा उत्तर में....................................... दक्षिण में.. पूर्व में .... पश्चिम में ....है) स्वीकार किया है ।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्ष्य है कि उधार लेने वाले को सरकार द्वारा ऋण के रूप में ....रूपये की राशि अग्रिम दिये जाने के प्रतिफल में (जिसकी कि प्राप्ति उधार लेने वाला एतद् द्वारा स्वीकार करता है) उधार लेने वाला निम्नलिखित शर्तो से स्वयं को बाध्य करता है तथा स्वीकार करता है :–

1. यह कि, कथित ऋण की.................................. प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर सहित सरकार को अदायगी करेगा ।
2. यह कि, मूलधन एवं ब्याज कि कथित राशि.....................................रूपये प्रतिमाह को किस्तों में मासिक वेतन बिलों से अदा की जायेगी ।
   यह कि उधार लेने वाले ने .... रूपये की राशि अपनी मृत्यु एवं सेवा निवृति उपदान अथवा भविष्य निधि में विशिष्ट अंशदान में से समायोजित कराने के लिए विकल्प दिया है तथा यह कि उस सीमा तक राशि का उसी तरह से समायोजन कर लिया जाएगा तथा मूलधन एवं ब्याज की शेष राशि उधार लेने वाले द्वारा उसके मासिक बिल से उसकी सेवा निवृत्ति तक .... रूपये की मासिक किस्तों में भुगतान की जाएगी ।
3. यह संवतन सेलेरी में से किस्तों की कटौतिया अग्रिम किश्त के आहरण की तारीख से नौ माह की अवधि समाप्त होने के बाद वेतन के प्रथम निर्गम से प्रारम्भ होगी ।
4. यह कि ब्याज की संगणना प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख....................... बकाया के आधार पर की जाएगी ।
5. यह कि, उधार लेने वाला कथित ऋण की पूर्ण राशि की .... नियमों द्वारा विहित समय के भीतर उसी प्रयोजन के लिए खर्च करेगा जिसके लिए कि वह स्वीकार किया गया है तथा यह उधार लेने वाला उधार ली गई राशि से कम राशि उस प्रयोजन के लिए व्यय करता है जिसके कि लिए उसे मंजूर किया गया है, तो वह अंतर की राशि का तत्काल सरकार को वापस भुगतान करेगा ।
6. यह कि उधार लेने वाला कथित ऋण से कय/निर्मित/मरम्मत किए गए भवन/भूमि को कथित नियमों में विहित अवधि में उधार लेने वाले को यथोपरोक्त उधार दी गई राशि एवं ब्याज की प्रतिभूति के रूप में कथित नियमों द्वारा प्रावहित प्रपत्रा में सरकार के पक्ष में एक बंधक विलेख निष्पादित करने का प्रतिवचन देता है ।

7. यह कि, यदि भवन भूमि का क्रय/निर्माण नहीं कराया जाता है/ उसकी मरम्मत नहीं कराई जाती है अथवा उसे यथोपरोक्त रूप से बंधक नहीं रखा जाता है अथवा यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या सेवायें त्याग देता है अथवा मर जाता है, तो ऋण एवं उस पर उद्भूत ब्याज की सम्पूर्ण राशि तत्काल देय एवं भुगतान योग्य हो जाएगी ।

8. यह कि, उधार लेने वाला इस ऋण के अग्रिम से बनवाये गए/क्रय किये गए/मरम्मत कराये गए भवन का लाभ एवं बिजली गिरने से होने वाले नुकसान के प्रति जीवन बीमा निगम अथवा इसकी सहायक शाखाओं से बीमा कराने का प्रति वचन देता है तथा यह बीमा उस समय तक कराया जाता रहेगा जब तक कि अग्रिम एवं उस ब्याज की राशि पूर्णतया, भुगतान न हो जाए । बीमा की राशि कराये जाने अथवा उसका नवीनीकरण कराये जाने की तारीख को सरकारी कर्मचारी पर बकाया अग्रिम राशि से कम नहीं होना चाहिए । उधार लेने वाले को जीवन बीमा निगम अथवा इसकी सहायक शाखाओं से भवन का बीमा कराने के बजाय राजस्थान एडवांस हेजार्ड फण्ड़ नियम, 1960 के अनुसार एडवांस हेजार्ड फण्ड़ में योगदान करने का विकल्प होगा ।

9. यह कि उधार लेने वाला अपनी सेवा निवृति के दिनांक तक सरकार की देय अग्रिम के शेष की यथापरोक्त तारीख से अदायगी नहीं करता है तो सरकार उसके बाद किसी भी समय बंधक की प्रतिभूति को प्रवृत कर सकेगी तथा देय अग्रिम के शेष को ब्याज एवं वसूली की लागत सहित भवन के विक्रय द्वारा अथवा ऐसे तरीके से जो कानून के अधीन स्वीकार्य हो वसूल कर सकेगी ।

10. यह कि, उधार लेने वाला अग्रिम की सहायता से बनवाये गये/क्रय किये गये/मरम्मत करायें गयें भवन का जब तक की अग्रिम राशि उस पर उद्भूत ब्याज के साथ पूरी तरह चुका न दी हो, कथित नियमों में विनिर्दिष्ट वर्ती एवं तरीके से भिन्न अन्य तरीके से नहीं बेचेगा अथवा उसका निपटान नहीं करेगा ।

11. यह कि, इस करार के उपबन्धों का उल्लेख करने पर उधार लेने वाला सम्पूर्ण राशि को अग्रिम के प्रतिशत की दर से ब्याज सहित एक मुश्त वापस करेगा ।

इसके साक्ष्य में उधार लेने वाले ने उपरिलिखित दिनांक को अपने हस्ताक्षर किए

अपने हस्ताक्षर किए उपरोक्त उधार लेने वाले द्वारा निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

प्रथम साक्षी :

हस्ताक्षर.................................. पता..
व्यवसाय................................. ....

द्वितीय साक्षी :

हस्ताक्षर.................................. पता..
व्यवसाय................................. ....

राजस्थान सरकार की ओर से निम्न की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

हस्ताक्षर.....................................

पदनाम.......................................

प्रथम साक्षी :
हस्ताक्षर.................................. पता...

व्यवसाय.................................. ....

द्वितीय साक्षी :
हस्ताक्षर................................. पता...

व्यवसाय................................. ....